


18 6 / 18

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

पुनर्जाती का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों के साथ शादी करेगा वह उस जाति का ही मान्यता प्राप्त होगा।  
इसके अलावा शादी के बाद जो भी जाति के लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वे भी उस जाति के ही मान्यता प्राप्त होंगे।  
यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों के साथ शादी करेगा तो वह उस जाति का ही मान्यता प्राप्त होगा।  
इसके अलावा शादी के बाद जो भी जाति के लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वे भी उस जाति के ही मान्यता प्राप्त होंगे।  
यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों के साथ शादी करेगा तो वह उस जाति का ही मान्यता प्राप्त होगा।  
इसके अलावा शादी के बाद जो भी जाति के लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वे भी उस जाति के ही मान्यता प्राप्त होंगे।  
यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों के साथ शादी करेगा तो वह उस जाति का ही मान्यता प्राप्त होगा।  
इसके अलावा शादी के बाद जो भी जाति के लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वे भी उस जाति के ही मान्यता प्राप्त होंगे।  
यदि कोई व्यक्ति किसी भी जाति के लोगों के साथ शादी करेगा तो वह उस जाति का ही मान्यता प्राप्त होगा।  
इसके अलावा शादी के बाद जो भी जाति के लोग उस व्यक्ति के साथ रहेंगे वे भी उस जाति के ही मान्यता प्राप्त होंगे।

विपदाग्रस्त 1 व 5  
के खिलाफ कार्य नहीं चलाया  


नारायण सिंह

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये  
आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये

अपकृत अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क  
बाह्य ( बीसवाड़ा )

राजस्थान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजग)

राजस्थान लोक प्रदायक अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्रकरण संख्या

277/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धार, P.A.S.  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
उत्तयान

~~गजराज सिंह वराली के शय्या के~~

निवासी शिवपुरी  
वनाम

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

~~गजराज सिंह वराली के शय्या के~~

निवासी शिवपुरी

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :-

श्री गजराज सिंह वराली  
कोमल एड. एल. एल. एल.

निर्णय

दिनांक 18/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान न्यू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

1171 खसरा 362, 1210 खसरा 306.5

कुल किता 2 रकबा 2.69 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार कार्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम संवत् 2070 से 77 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 2.69 हैक्टर की पुरज्जा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 3000 रूपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ (800) मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदि पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धार  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

के. आर. धार  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)